


क्रमांक:- आर.एन.सी./2023/जीबी/11589

दिनांक:- 9.10.2023

कार्यालय आदेश

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल की जीबी की बैठक दिनांक 04.10.23 के ऐजेन्डा संख्या 31 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के अनुसार NPME (Nurse Practitioner Midwifery Educator) प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीकरण हेतु पंजीकरण शुल्क के रूप में 5000/- (पांच हजार रुपये) एवं देय GST निर्धारित की जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
(डॉ. शशिकान्त शर्मा)  
रजिस्ट्रार  
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल  
जयपुर

क्रमांक:- आर.एन.सी./2023/जीबी/

दिनांक:-

प्रतिलिपी :-

1. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, (ग्रुप-3), जयपुर।
2. निजी सचिव, श्रीमान निदेशक (अराजपत्रित), निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
3. श्रीमान निदेशक महोदय (जन. स्वा.) एवं पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
4. सर्वर रूम को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को पोर्टल पर अपलोड करे।
5. कार्यालय प्रति।

  
रजिस्ट्रार  
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल  
जयपुर